

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 52/2025 (2025/151) अनवान गोपीलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

13-1-2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी, खरीदसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि मौजा ग्राम मोगडा कंला के खसरा नम्बर 121/1 रकबा 0.6575 हैक्टर आई हुई है। उक्त खसरे पर प्रार्थीगण सयुक्त रूप से कब्जा काश्त कार्य करते आ रहे हैं अभी हाल में प्रार्थीगण अपने हैन्डीकाफ्ट व्यवसाय जो जोधपुर में सयुक्त रूप से चला रहे हैं, व्यवसाय में अधिक व्यस्तता के कारण मोगडा कंला में स्थित उक्त कृषि भूमि के तरफ जाना नहीं हुआ और रेकॉर्डेड स्थिति को भी नहीं देख सके। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि कि जमाबन्दी व ई-नक्शा कि प्रति लेने ई-मित्र पर गये, जब ई-मित्र से जमाबन्दी व ई-नक्शा प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को अपनी मोगडा कंला स्थित कृषि भूमि की मौका स्थिति व रेकॉर्ड कुल अलग-थलग दर्शाये प्रतीत हुये। उक्त खसरे में जाने के लिये मुख्य सडक (जोधपुर से पाली रोड) से लगता रास्ता जो राज्य सरकार को समर्पित भूमि है, दर्शाया हुआ नजर नहीं आता है। प्रार्थीगण ने पटवारी से सम्पर्क किया जो बताया कि कम्प्युटराईज ऑनलाईन प्रकिया से तरमीम करने पर कम्प्युटर कि त्रुटि के कारण रेकॉर्ड इधर उधर हो गया है। खसरा सं. 121/1 जो कि प्रार्थीगण ने जरिये बेचान नामाजो उप पंजीयन लूणी के दिनांक 08.10.2002 को मूल खसरा सं. 121 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा में से 4 बीघा रजिस्टर्ड खरीद किया गया उक्त रजिस्टर्ड बेचान नामे में अडौस पडौस भी खोले गये हैं, जिसमें पूर्व दिशा में 20 फुट रास्ता खसरा सं. 121/1 को चिपता है दर्शाया गया है। प्रार्थीगण उक्त खसरे में जाने के लिये जिस रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है उस रास्ते का तहसीलदार लूणी के कार्यालय में समर्पणनामा क्रमांक/राजस्व/भूमि/समर्पण/2002/294 दिनांक 03.03.2003 के द्वारा राजस्थान सरकार को सार्वजनिक रूप से रास्ते के लिये राज्य पक्ष में समर्पित किया गया है। जो रेकॉर्ड में अमल दरामद है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोगडा कंला के खसरा संख्या 121/1 में आने जाने हेतु जिस समर्पित रास्ते कि ऑन लाईन तरमीम अशुद्धि हुई है, उन्हें पुनः तरमीम शुद्ध कर रेकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी ने जांच रिपोर्ट में बताया कि मोगडा के खसरा संख्या 121/1 रकबा 0.6475 है। गोपीलाल पुत्र पोलाराम 1/2 श्यामलाल पुत्र पोलाराम 1/2 जाति सुथार सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम मोगडा कंला के खसरा संख्या 122/5 रकबा 0.0101 है। समर्पित भूमि राज. सरकार के नाम 1 नं खाते में दर्ज है उक्त समर्पित भूमि का इन्द्राज ग्राम मोगडा कंला के नामा. सं. 846 के जरिये राजस्व रेकॉर्ड में हुआ। लट्टा नक्शा ट्रेस में उक्त समर्पित रास्ते की तरमीम का लाल स्याही से स्पष्ट अंकन नहीं है। नामा. सं. 846 की पुस्त के पीछे नजरी नक्शे का अंकन किया गया है। वर्तमान ऑनलाईन भू नक्शा एवं नामा. की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शे में अंतर है वर्तमान भू नक्शा तरमीम को नामा. पुस्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोगडा कंला के खसरा संख्या 121/1 की अशुद्ध तरमीम प्रस्तावित अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं। पटवारी रिपोर्ट इस आदेश का अंग सुमार हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूणी